



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1587/MP/12/2023-ESDW

दिनांक: 27.04.2023

सचिव,
जनजातीय कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार,
सातवीं मंजिल, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
ई-मेल: secy-tribal@nic.in


विषय: मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्विद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में डॉ संजय तिवारी, कुलपति, मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्विद्यालय, राजा भोज मार्ग (कोलार रोड़), भोपाल-462016, मध्य प्रदेश से दिनांक 27.03.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर डॉ. संजय तिवारी, कुलपति, मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्विद्यालय, राजा भोज मार्ग (कोलार रोड़), भोपाल, मध्य प्रदेश से दिनांक 27.03.2023 का अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। यह मामला जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है।

2. आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में यथोचित कार्रवाई करते हुए की गई/जाने वाली कार्रवाई से अभ्यावेदक को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि.


(एच.आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. डॉ. संजय तिवारी,
कुलपति,
मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्विद्यालय,
राजा भोज मार्ग (कोलार रोड़),
भोपाल, मध्य प्रदेश
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु।